नियोजित विकास जरूरी

देशभर में जिस तरह से शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही है, उसमें यह माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक 50 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में होगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां के 110 शहरों पर भी आबादी का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। उस पर शहरों की दशा किसी से छिपी नहीं है, जो अनियोजित विकास की मार से जूझ रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे में नागरिक सुविधाएं भी उस हिसाब से नहीं पसर पा रहीं, जिनकी दरकार है। ऐसे में यह जरूरी है कि नियोजित विकास के साथ ही नई टाउनशिप विकसित करने की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए। राज्य सरकार ने भी इसे महसूस किया है। कैबिनेट के निर्णय को इस आलोक में देखा जा सकता है। अनियोजित विकास न हो, इसके लिए सरकार दो योजनाएं लेकर आई है। टाउन प्लानिंग योजना के तहत शहरी क्षेत्र के नियोजित विकास और सभी आय वर्ग के लिए इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क, आवास समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई टाउनशिप विकसित करने पर जोर दिया गया है। योजनाबद्ध विकास में बिना किसी अड़चन के भूमि प्राप्त करने को लैंड पूलिंग योजना लाई गई है। भवनों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियमन में कई तरह की छूट देने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन निर्णयों को धरातल पर उतारने के लिए तंत्र को सक्रिय किया जाए। इसके लिए जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी, तभी नियोजित विकास के लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे।

शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जनदबाव के दृष्टिगत नियोजित विकास और नई टाउनशिप की दिशा में बढ़ना ही होगा।